<u>न्यायालय श्री सोनु सौरव, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर</u> ।

<u>जी0आर0सं0 :–959 / 2022</u>

उपहारा थाना कांड संख्या :–77 / 2022

<u>05.09.2022</u> आवेदकगण नामतः नीतिश कुमार एवं नकुल पासवान की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है। आवेदक की ओर से वाहन की कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया है एवं आवेदक की ओर से अपने मृत पत्नी पुष्पा कुमारी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है।

वाद पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया गया है । आवेदकगण का अपराधिक इतिहास नही है । आवेदकगण के विरूद्ध उक्त वाद में लगाये गये धाराएँ लागू नही होता है । उक्त वाद में जप्त ट्रैक्टर निवंधन संख्या–BR26GB4718 का स्वामी पुष्पा कुमारी है लेकिन पुष्पा कुमारी की मृत्यु हो गई है और आवेदक नीतिश कुमार उसका पति है तथा वही उक्त वाहन का संचालन करता है । जबकि नकुल पासवान चालक है । आवेदकगण को उक्त वाद में झूठा एवं मनगढं.त आरोप लगाकर फंसा दिया है। आवेदकगण के द्वारा हरजाना की राशि जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद में जमा कर दिया है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध बालू चोरी करने के आरोप में धारा धारा 379 एवं 411 भा0दं0सं0 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 के नियम 4 एवं 21, बिहार खनिज संशो0 नियमावली 2021 के नियम 56 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है । उक्त वाद में जप्त वाहन के स्वामी के द्वारा हरजाना की राशि जमा कर दी गई है, जिससे सम्बन्धित प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक–1530 / ख0 दिनांक–01.09.2022 से समर्पित किया गया है, जिसमें दर्शित होता है कि मो0–30,375 / –रूपया जमा की गई है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण, विचारण के दौरान वाद के सुनवाई में सहयोग करेंगे, भागेंगे नहीं ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदकगण का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदकगण को मो0–25000x2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।

<u>न्यायालय श्री सोनु सौरव, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर</u> ।

<u>जी0आर0सं0 :–959 / 2022</u>

उपहारा थाना कांड संख्या :–77 / 2022

<u>25.08.2022</u> ट्रैक्टर निवंधन सं0–BR02AA3570 एवं उसके साथ संलग्न टेलर के स्वामी / आवेदक बासुकिनाथ की ओर से उक्त वाहन को मुक्ति हेतु एक आवेदन उपस्थिति पत्र के साथ दाखिल किया गया । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उक्त आवेदन को संचालित करते हए, निवेदन करते है कि उक्त वाद में उसका ट्रैक्टर एवं टेलर जप्त है । अतः उक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय ।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया । अतः उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त वाद में जप्त ट्रैक्टर एवं टेलर का अलग–अलग निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या से संबंधित <u>स्पष्ट प्रतिवेदन</u> के साथ उक्त वाहन का स्वामी का नाम, चालक के नाम तथा के साथ इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक–15.09.2022 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी / अनुसंधानक को भेंजे।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।

<u>पश्चात</u>
05.09.2022 उक्त वाहन पर बालू चोरी का आरोप है । अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को निर्देश दिया जाता है कि ट्रैक्टर निवंधन सं0–BR02AA3570 एवं उसके साथ संलग्न टेलर का स्कीन प्रतिवेदन दिनांक–15.09.2022 तक समर्पित करें तथा यह भी समर्पित करें कि उक्त वाहन के विरूद्ध कोई अन्य शुल्क देय है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।